संख्या-116/2016 /2191/35-3-2016-1(51)/2015

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी /जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 17 नवम्बर, 2016**

विषयः राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नये व्यक्तियों को डेटावेस में समाहित करने संबंधी कुंजीयन कार्य पूर्ण कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के पत्र संख्या-48/2016/1144/35-3-2016-1(51)/2015, दिनांक 08.06.2016 तथा पत्र संख्या-54/2016/1442/35-3-2016-1(51)/2015, दिनांक 27.06.2016 एवं पत्र संख्या-57/2016/1539/35-3-2016-1(51)/2015, दिनांक 20.07.2016 की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुये पुन: यह अवगत कराना है कि शासन के उक्त पत्रों द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त होने वाले संशोधनों एवं नए सदस्यों की सूचनाओं को डेटाबेस में समाहित करने हेतु डाटा सेन्टरों की स्थापना करवाने, आकडों की गुणवत्ता जॉच हेतु सुपरवाईजरों की नियुक्ति, सेवा प्रदाता संस्था का चयन, तथा जनपदों के जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारियों को कुंजीयन कार्य (डाटा इन्ट्री) हेतु नोडल अधिकारी नामित करने आदि की कार्यवाही कराते हुए कुंजीयन कार्य को 120 दिवसों में पूर्ण करवाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.11.2016 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 34 जनपदों- लखनऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, सहारनपुर, इटावा, बलिया, सम्भल, रायबरेली, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, महामायानगर, बदायूँ, पीलीभीत, खीरी, कानपुर देहात, महोबा, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बहराइच, गोण्डा, सन्तकबीरनगर, कुशीनगर, आजमगढ, कांसीरामनगर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, श्रावस्ती, औरैया, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, बांदा एवं चंदौली में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य की प्रगति समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह पाया गया कि कतिपय जनपदों में अभी फेज-1 का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था और कतिपय जनपदों में डेटा इन्ट्री (कुंजीयन कार्य) प्रारम्भ् ही नहीं हुआ था एवं 6 जनपदों- औरैया, कानपुर नगर, जालौन, झॉसी, बॉदा एवं चंदौली में ऑकडों की गुणवत्ता जॉच का कार्य कतिपय कारणों से अभी प्रारम्भ नहीं हुआ था, जबकि कुंजीयन कार्य पूर्ण करने हेतु 31 दिसम्बर, 2016 की समय सीमा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में प्रश्नगत कार्य की धीमी प्रगति पर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय द्वारा भी असंतोष व्यक्त किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध बजट व्यवस्था से मानदेय एवं कुंजीयन कार्य हेतु आवश्यक धनराशि शासनादेश संख्या'-103/2016/2175/35-3-2016-1(33)/2015 टीसी दिनांक 04 नवम्बर, 2016 द्वारा स्वीकृत/ आवंटित कर दी गयी है। अस्तु आपसे अनुरोध है कि अपने- अपने जनपदों में डेटा इन्ट्री (कुंजीयन) कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 से पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करायें एवं अपने - अपने जनपदों में कुंजीयन कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारियों (जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारियों) को प्रश्नगत कार्य की दैनिक प्रगति रिर्पोट जनगणना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-डीसीओ-यूपी/डीडीई/एस.पी.एम.यू./68 दिनांक 03.11.2016 द्वारा आपको भेजे गये प्रारूप पर निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ तथा जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को प्रतिदिन उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भेजेने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(**मुकुल सिंहल**)
प्रमुख सचिव।

संख्या-116/2016 /2191 (1)/35-3-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड,नई दिल्ली-110011
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को संदर्भ संख्या-12309/एमएस/जीआई/2016, दिनांक 03.11.2016 के संदर्भ में।
3. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने- अपने अधिकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण करने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने स्तर से भी समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारियों को दैनिक प्रगति रिर्पोट निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संयुक्त निदेशक,जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र सं0-डीसीओ-यूपी/डीडीई/एसपीएमयू/68 दिनांक 03**-11-2016** एवं पत्र दिनांक 04.11.2016 के संदर्भ में।

आज्ञा से

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in